उत्तर रेलवे

उप मु0वित्त सला0 एवं मुख्य लेखाधिकारी उ0रे0 आलमबाग, लखनऊ।

सूचना

पत्र सं0– 2019/प्रशा0/1/आलमबाग/पुननियुक्ति दिनांक 08.11.2019

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या आरबीई ई/164/2010 एवं 150/2017 एवं प्रधान कार्यालय के द्वारा जारी मुद्रित क्रमांक 14820 दिनांक 15.02.2017 पी0एस0 नं014963/2018 दिनांक 08.08.2018 में दिए गए दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दि0 31.10.2019 तक सेवानिवृत्त हुए वित्तीय विभाग की पात्रता के आधार पर पुर्ननियुक्त हेतु पदों के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2019 तक लेखा कार्यालय के प्रशासन अनुभाग में जमा कर सकते हैं।

क्र. सं.	विवरण	कुल पद	विशिष्ट योग्यता
1	अनुभाग अधिकारी लेखा	01	निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन/निष्पादन सुनिश्चित करना– (1) रेलवे लेखा कार्यालय में जैसे–वेतन बिल बनवाना जांच करना, सर्विस रिकार्ड सम्बन्धी कार्य, सभी तरह के दावों का निपटान, विविध जमा का समायोजन करना, भविष्य निधि खातों के दक्षता जैसे–समायोजना, पास करना इत्यादि मासिक लेखा तैयार करना सभी जनरल बाउचर तैयार करना, कारखाना उच्चतम में दक्षता, पेंशन कार्यों में दक्षता, भण्डार लेखा में दक्षता, WMS तथा BOOKS अनुभाग के कार्य। (2) कम्प्यूटर पर कार्य करने की योग्यता तथा जानकारी आवश्यक है।
2	लेखा सहायक	03	(1) रेलवे लेखा कार्यालय में जैसे–वेतन बिल बनाना जांच करना, सर्विस रिकार्ड सम्बन्धी कार्य, सभी तरह के दावों का निपटान, विविध जमा का समायोजन करना, भविष्य निधि खातों के दक्षता जैसे – समायोजना, पास करना इत्यादि मासिक लेखा तैयार करना सभी जनरल बाउचर तैयार करना, कारखाना उच्चतम में दक्षता, पेंशन कार्यों में दक्षता, भण्डार लेखा में दक्षता WMS तथा BOOKS अनुभागके कार्यों का अनुभव। (2) कम्प्यूटर पर कार्य करने की योग्यता तथा जानकारी आवश्यक है।

पात्रता सम्बन्धी सामान्य शर्तेः–

1. नौकरी से निष्कासित व अनिवार्य अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं होंगे, जिससे लारजेस के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।
2. सम्बन्धित कोटि हेतु निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में उपर्युक्त होना आवश्यक है।

3. ऐसे पुननियुक्ति के लिए कम से कम छह माह की सेवा अवश्य होनी चाहिए अर्थात दिनांक 01.11.2019 को अधिकतम आयु 64 वर्ष 06 माह से अधिक न हो।
4. किसी तरह का कोई भत्ता स्वीकृत नहीं होगा।
5. कर्मचारी की नियुक्ति को प्रति वर्ष पुनरीक्षित किया जायेगा।
6. सीधी भर्ती कोटा से कर्मचारी प्राप्त होने पर उक्त नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता है।
7. संतोषजनक कार्य न पाए जाने पर 15 दिन की सूचना देते हुए कर्मचारी को किसी समय निकाला जा सकता है।
8. नियुक्त कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता उनके अंतिम वेतन+डीए से पेंशन धनराशि घटाकर दी जाएगी।
9. उक्त कर्मचारियों की नियुक्त सक्षम अधिकारियों के चयन मण्डल के द्वारा चयनित होने पर ही की जाएगी, जिसमें विगत तीन वर्षों के सेवा मूल्यांकन किया जाना है।
10. आवेदन के साथ पीपीओ की छायाप्रति, सेवा प्रमाण पत्र तथा पेंशन परिचय पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
11. चयनित होने पर पुनः नियुक्ति भत्ता बैंक के द्वारा आपके खाते में जमा किया जाएगा जिसके लिए बैंक का विस्तृत विवरण आवश्यक है।
12. आवेदन की अन्तिम तिथि 18.11.2019 तक है। आवेदन लेखा कार्यालय में 18.11.2019 तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

08/11/19

संलग्नक : आवेदन प्रारूप

उप मु0 वित्त सला0 एवं मु0 लेखाधिकारी
उ0रे0 आलमबाग, लखनऊ।

प्रतिलिपि–

1. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन), (वेबसाइट पर डालने हेतु)
2. सूचना पटल :– लेखा कार्यालय–आलमबाग, चारबाग व उ0रे0 हजरतगंज लखनऊ, मुख्य कारखाना प्रबंधक उ0रे0 आलमबाग लखनऊ व उप मुख्य सामग्री प्रबंधक आलमबाग लखनऊ।